रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/502/2019

पीठासीनः श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, पटना

संस्थन की तिथिः 06.12.2019

निर्णय की तिथिः 08.04.2025

कविता देवी एवं अन्य,
निवासी ग्राम/मोहल्ला– जंगली प्रसाद लेन,
नाला पर, बेगमपुर, थाना– चौक,
जिला– पटना, बिहार–800009 .... याचीगण

बनाम

भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर। ....उत्तरदाता

दावा राशिः ₹ 8,00,000 मय ब्याज

उपस्थितिः
याचीगण की ओर से–श्री आर0के0पटेल, विद्वान अधिवक्ता– उपस्थित
उत्तरदाता की ओर से–श्री आर00के0 शर्मा, विद्वान अधिवक्ता– उपस्थित

निर्णय

श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याचीगण कविता देवी एवं अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत रविन्द्र महतो की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उनपर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में **₹8,00,000/–** एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार दिनांक 30.06.2019 को पटना साहिब स्टेशन से पटना जंक्शन के लिए द्वितीय श्रेणी वैध टिकट खरीदने के बाद मृतक रवींद्र महतो पटना साहिब स्टेशन पर पटना जंक्शन जाने के लिए ट्रेन संख्या 63227 अप, इस्लामपुर–पटना पैसेंजर ट्रेन में सवार हुआ। मृतक ने अपनी पत्नी कविता देवी की उपस्थिति में अपना वैध टिकट खरीदा और उसकी उपस्थिति में ही उक्त ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन में भारी भीड़ थी जिसके कारण रवींद्र महतो ट्रेन के डिब्बे के अंदर गेट के पास खड़ा था। यात्रियों की भारी भीड़ और धक्का–मुक्की के कारण मृतक अचानक पटना साहिब स्टेशन से 1 किमी पश्चिम में किमी/पोल संख्या 534/11 और 534/13 के बीच उक्त चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट खो गया।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन कानूनी रूप से एवं तथ्यों पर पोषणीय नहीं है। आवेदकगण को प्रस्तुत आवेदन दाखिल करने का कोई कारण नहीं है। जांच रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मृतक रविन्द्र महतो के पास से कोई टिकट बरामद नहीं हुआ, जिससे यह पता चलता है कि मृतक सदभावी यात्री नहीं था और

न ही कथित घटना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123(सी) (2) की परिधि में आती है। मृतक को उसकी स्वयं की जानबूझकर की गई लापरवाही और गलती के कारण चोट लगी है, इसलिए यह रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 ए, खंड (बी) के दायरे में आता है। अतः याचीगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए निम्नलिखित वाद विन्दु बनाये गये।

(1) क्या मृतक ट्रेन नं0 63227 का सद्भावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु से रेलवे अधिनियम 1989 की धारा–123 (सी) 2 की परिधि में आती है?

(3) क्या आवेदक/आश्रितगण मृतक के आश्रित हैं?

(4) क्या आवदेक/आश्रितगण प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो कितना?

5. याचीगण की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में कविता देवी का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए0डब्लू0 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याची की ओर से स्टेशन मेमो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, डेडबॉडी चालान, एफ आई आर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आवेदन पत्र, पुलिस फाइनल रिपोर्ट, आधार कार्ड, आश्रित प्रमाण पत्र, की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डी आर एम रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01

9. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि दिनांक 30.06.2019 को पटना साहिब स्टेशन से पटना जंक्शन के लिए वैध द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदने के बाद मृतक रवींद्र महतो पटना साहिब स्टेशन पर पटना जंक्शन जाने के लिए ट्रेन संख्या 63227 अप, इस्लामपुर–पटना पैसेंजर ट्रेन में सवार हुआ। मृतक ने अपनी पत्नी कविता देवी की उपस्थिति में अपना वैध टिकट खरीदा और उसकी उपस्थिति में ही उक्त ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन में भारी भीड़ थी जिसके कारण रवींद्र महतो ट्रेन के डिब्बे के अंदर गेट के पास खड़ा था। यात्रियों की भारी भीड़ और धक्का–मुक्की के कारण मृतक अचानक पटना साहिब स्टेशन से 1 कि0मी0 पश्चिम में कि0मी0/पोल संख्या 534/11 और 534/13 के बीच उक्त चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट खो गया।

10. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि प्रस्तुत मामले में यदि यात्रा के दौरान मृतक के पास यात्रा टिकट होता तो वह टिकट पुलिस द्वारा कम से कम मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के समय मृतक के पास से बरामद किया जाता। चूँकि साक्षी कविता देवी मृतक की पत्नी तथा वादी है, अतः उसने टिकट से सम्बन्धित साक्ष्य को साबित करने के लिए मनगढ़न्त बयान दिया है, इसलिए इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

11. साक्षी कविता देवी, ए0डब्लू0 1 ने अपने शपथपत्र के पैरा 2 में यह कथन किया है कि–

यह कि मेरे पति दिनांक 30-06-2019 को शादी समारोह में भाग लेने हेतु कंकड़बाग जाने के लिए अपने डेरा से पटना साहिब स्टेशन गए थे जिन्हें छोड़ने में भी पटना साहिब स्टेशन गयी थी और मेरे पति मेरे समक्ष दिनांक 30-06-2019 को रात्री में पटना साहिब स्टेशन से पटना जं० का वै/k रेलवे

यात्रा टिकट लेकर इसलामपुर-पटना पैसेंजर ट्रेन में पटना जं० जाने के लिए पटना साहिब स्टेशन पर सवार हुए थे।

साक्षी कविता देवी, ए0डब्लू01 ने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि–

शपथ पत्र में सभी बाते लिखा हुआ थाने से जानकारी हुआ था घटना दिनांक 30-06-2019 की है। मेरे पति पटना सिटी से कंकड़बाग जाने के लिए पटना साहिब स्टेशन से पटना जंक्शन के लिए रेल से यात्रा कर रहे थे। घटना की सूचना मुझे 01-07-19 को सुबह 8-30 में मिली थी। दिनांक 30-06-2019 को पौने 8 बजे पटना साहिब से पटना जंक्शन के लिए यात्रा कर रहे थे। अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे थे। मैंने कॉल किया तो बात नहीं हो पाया। उनका किसी दोस्त का नं० मेरे पास नहीं था। सहेली के द्वारा घटना की सूचना सुबह 8-30 बजे मिला था। मेरी सहेली लाल इमली रहती है। मेरी सहेली घर पर आकर बताई थी। मैं घटनास्थल पर नहीं गयी थी घटनास्थल से घर की दूरी 3 किलोमीटर है। मुझे मेरी सहेली ने बताया कि मेरे पति के शव पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर लाया गया है इसी कारण से घटनास्थल पर नहीं जाकर रेलवे स्टेशन पर ही गयी थी। इस घटना की जानकारी रेल थाना को नहीं दी थी। गवाह को मूल संचिका में मूल आवेदन के साथ संलग्न रेल थाना को दिये गये एक आवेदन के नीचे हस्ताक्षर को दिखाया गया। उसने अपने हस्ताक्षर को पहचाना और उसकी पुष्टि की। पुनः पूछने पर गवाह ने कहा कि उसने रेल थाना में आवेदन दिया था। वह सफेद शर्ट एवं ब्लू रंग का जींस पहने हुए थे। मैंने अपने पति के शव को नहीं देखा। जब मैं रेल थाना पटना साहिब पहुंची तो वहां मेरे पति का शव नहीं था। चूंकि शव की पहचान नहीं हुई थी। अतः रेल थाना को शव को अज्ञात मानते हुए पीएमसीएच भेज दिया था। जब रेल पुलिस ने मुझे शव का फोटो दिखाया तो मैंने अपने पति के फोटो पहचाना और अपने परिजनों के साथ मैं पीएमसीएच गयी। जब तक हम पहुंचे थे तब तक पोस्टमार्टम हो चुका था उसके पश्चात शव दिखाया गया तो मैंने अपने पति के शव को पहचाना। पुलिस द्वारा दिखाये गये मेरे पति के चेहरे बायां तरफ बहुत गंभीर चोट दिख रही थी बाकी शरीर सफेद चादर से ढका हुआ था। मैं अपने पति को प्लेटफार्म नं0 3 में ट्रेन पर चढ़ते हुए देखी थी तथा ट्रेन [kqलने के बाद मैं कुछ सामान आदि खरीदकर घर आ गयी थी। मैं हमेशा अपने पति को रेल यात्रा के समय स्टेशन छोड़ने आया करती थी यह मेरी आदत थी। कंकड़बाग आने के लिए ऑटो अथवा बस से बहुत जल्दी-जल्दी उपलब्ध होते हैं तथा कंकड़बाग से सबसे नजदीकी स्टेशन राजेन्द्रनगर है तो ऐसे में आपके पति पटना साहित से पटना जंक्शन क्यों जा रहे थे जहां तक बस ऑटो की बात है तो उस रास्ते में जाम बहुत लगता है इसी से ट्रेन यात्रा सुविधkजनक होती है बाकी नहीं पता कि पटना

साहिब से पटना जंक्शन के लिए क्यों नियत थी। मेरे घर से कंकड़बाग की दूरी पता नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरा पति ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे थे वह रेल पटरी पार करने के दौरान यह घटना घटी थी।

12. रेल के सद्‌भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.03.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

अतः यह जिम्मेदारी याची की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें। प्रश्नगत प्रकरण में याची ने सशपथ न्यायाधिकरण के समक्ष कहा है कि मृतक ने उसके समक्ष टिकट लेकर ट्रेन पर सवार हुआ था। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीना देवी के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार याची प्रथमतः सिद्ध करने में सफल रहा कि मृतक घटना के समय वैध यात्री थी। अतः मृतक का एक वैध यात्री होना सिद्ध होता है।

13. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक अवलोकन के उपरान्त याचीगण के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील से न्यायाधिकरण सहमत है कि साक्षी ने अपने बयान से टिकट से

सम्बन्धित तथ्य को साबित किया है, अतः इसके प्रतिकूल तथ्य को पूर्णतः साबित करने का भार उत्तरदाता पर था जिसे उत्तरदाता द्वारा साबित नहीं किया गया है। अतः मेरे मत में भारत संघ बनाम रीना देवी (4945 ऑफ 2018) के मामले में दी गयी विधिक व्यवस्थाओं के प्रकाश में याची का यह अभिकथन ए.डब्ल्यू.–01 कविता देवी के साक्ष्य से पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि दुर्घटना के समय मृतक के पास वैध यात्रा टिकट था। अतः वाद बिन्दु सख्या 1 तद्नुसार सकारात्मक रूप से याची के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 02

14. इस वाद बिन्दु के अन्तर्गत इस तथ्य का विनिश्चय किया जाना है कि क्या प्रश्नगत दुर्घटना में हुई मृतक की मृत्यु अनपेक्षित रेल दुर्घटना की परिधि में आती है।

15. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि यात्रियों की भारी भीड़ और धक्का–मुक्की के कारण मृतक अचानक पटना साहिब स्टेशन से 1 कि0मी0 पश्चिम में कि0मी0/पोल संख्या 534/11 और 534/13 के बीच उक्त चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

16. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि मृतक प्रश्नगत रेलगाड़ी का सद्भावी यात्री नहीं था, अपितु मृतक की मृत्यु किसी चलती ट्रेन की चपेट में आने के कारण हुई। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

17. स्टेशन प्रबंधक/पटना साहिब द्वारा जी.आर.पी./आर.पी.एफ. पटना साहिब को जारी मेमो के अनुसार– ***एक अज्ञात यात्री ने आकर सूचना दिया है कि एक व्यक्ति उम्र लगभग 35 वर्ष KM 534/11–534/13 के बीच Up लाइन के बगल में किसी गाड़ी से गिरकर मरा हुआ पड़ा है।*** पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, ***"किसी चलती ट्रेन से गिरकर कान के नीचे गंभीर जख्म दाहिने हाथ में खरोंच जो***

पूरे बदन में खरोंच के कारण मृत्यु होना प्रतीत होता है।" पुलिस फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, *मृतक...की मृत्यु दिनांक 30.06.19 को पटना साहिब स्टेशन से पटना जं0 ट्रेन सं0 63227 अप ईसलामपुर पटना पैसेंजर ट्रेन से जाने के क्रम में पटना साहिब स्टेशन से करीब 1 KM पश्चिम पोल सं0 534/11 एवं 534/13 के बीच चलती ट्रेन से गिरकर गम्भीर रूप से जख्मी होने से घटनास्थल पर ही मृत्यु होना,* अंकित है।

18. पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण ***haemorrhage and shock resulting from head injury, polytrauma and its complications caused bu hard blunt force impact*** दर्शाया गया है।

19. उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत डी आर एम रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मृतक किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था और न ही उसके पास कोई रेल टिकट पाया गया। घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मृतक की मृत्यु अनधिकृत रूप से घटनास्थल पर ट्रैक पार करने के क्रम में किसी चलती गाड़ी के चपेट में आने से हुई है। परन्तु विपक्षी रेलवे ने लोको पायलट या सह लोको पायलट को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। उत्तरदाता का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि मृतक की मृत्यु गाड़ी से गिरकर नहीं हुई थी।

20. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस उक्त वाद विन्दु पर सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतक की मृत्यु प्रश्नगत रेलगाड़ी से गिर जाने के कारण आयी चोटों से हुयी जो कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123(C)(2) के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित रेल दुर्घटना की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 2 भी तद्नुसार सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 03

21. विचारणीय है कि मृतक का आश्रित कौन है। मूल आवेदन के साथ दाखिल पारिवारिक सदस्यता सूची एवं साक्षी ए.डब्ल्यू.–1 कविता देवी के शपथ पत्र के अनुसार, कविता देवी (मृतक की पत्नी), अविनाश कुमार (मृतक का पुत्र), आकाश कुमार (मृतक का पुत्र) एवं अनमोल कुमार (मृतक का पुत्र), ही मृतक के आश्रित और प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित यात्रीगण का कथन पूर्णतः सिद्ध है। अतः याचीगण ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के प्रकाश में मृतक के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है अतः यह वाद बिन्दु भी तद्नुसार याची के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 04

22. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– (रूपये आठ लाख मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/– (रूपये आठ लाख मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से भुगतान की तिथि तक प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

23. आवेदकगण का आवेदन पत्र कुल ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से भुगतान की तिथि तक,

के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तद्नुसार आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगे:–

कम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	कविता देवी	पत्नी	37	₹5,00,000	₹80,000	₹4,20,000
2.	अविनाश कुमार	अवयस्क पुत्र	17	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*
3.	आकाश कुमार	अवयस्क पुत्र	14	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*
4.	अनमोल कुमार	अवयस्क पुत्र	12	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*

नोट:– * अविनाश कुमार, आकाश कुमार एवं अनमोल कुमार (तीनों मृतक के अवयस्क पुत्र) के हिस्से की पूरी राशि उनके वयस्क होने तक या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, सावधि जमा में रखा जाएगा। अविनाश कुमार, आकाश कुमार एवं अनमोल कुमार (तीनों मृतक के अवयस्क पुत्र) का अंश उनकी माता कविता देवी के संरक्षण में खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में, उनके स्थायी निवास स्थान के निकटतम, उनके वयस्क होने या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में आये, की अवधि के लिए जमा किया जाएगा। उनकी माता कविता देवी अपने अवयस्क पुत्रों के भरण–पोषण/रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त करने की हकदार होंगी। संचित ब्याज, यदि कोई हो, मूल राशि के साथ परिपक्वता की तारीख को बिना किसी निर्देश के उपयोग के लिए भुगतान किया जाएगा।

24 (a)प्रतिवादी रेलवे को निर्देशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से कुल ₹80,000/– (अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ. डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचीगण के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

25. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याचीगण को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाय।

08.04.2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 08.04.2025

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

08/04/2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 08.04.2025